


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर अहकाम हुकम में |
|----------------------------------|---|----------------------|
| २२ ^{०५} / _{१९} | <p>वकील वादी उपरोक्त वकील वादी के मुख्य प्रीक्चर काष्ठन PW-1 तथा PW-3 के प्राप्य-पत्र पेश किए जो शामिल पत्रावली क्रि. नं. ७) कास्ते वरम पत्रावली दिनांक 15/5/2019 के पेश हो।</p> | |
| 15 ^{०५} / _{१९} | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरोक्त प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 20/05/2019 को पेश हो।</p> | |
| २० ^{०५} / _{१९} | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी, प्रतिवादी उपरोक्त प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। वरवक्त बहस वकील वादी पूर्व में निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित पञ्जाबराज के मध्य राजीनामा होकर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। अतः मुलाखि राजीनामा दावा खिही करवाया जावे। वकील वादी के निवेदन पर वकील प्रतिवादी ने सहमति जाहीर की।</p> <p>पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजदम रेकार्ड एवं पेशा मुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया। मुंडि विवादित पञ्जाबराज ने आपसी सहमति से राजीनामा इन न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक करवाया जा चुका है। अतः वाद, वादी बरुद राजीनामा स्वीकार किया जाकर बोषणा की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>तन ग्राम रोमल प. ह. रोमल तहसील जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. ५१९ में से ०.१५ हे० उत्तरी पूर्वी भू भाग के अलग मिन नम्बर डलकर १/३ भाग का वादी को, २/३ भाग का प्रतिवादी नं. १ व २ को</p> | |




सम

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

तथा शेष 1.82 हे० के 1/3 भाग पश्चिमी का
प्रतिवादी नं० 2 को अलग मिन नम्बर डालकर
व 1/3 मध्य भाग का वादी को अलग मिन
नम्बर डालकर तथा 1/3 पूर्वी भाग के अलग मिन
नम्बर डालकर प्रतिवादी नं० 1 को तथा ए० नं० 508
रकबा 1.71 हे० के 1/3 पश्चिमी भाग का
वादी को अलग मिन नम्बर डालकर व 1/3 मध्य
भाग का प्रतिवादी नं० 2 को अलग मिन नम्बर
डालकर व 1/3 पूर्वी भाग का प्रतिवादी नं० 1
को अलग मिन नम्बर डालकर अलग नक्शा ड्रॉइंग
में तरसीम तुर अलग-अलग लगान काम करते
हुए जातेदार काइलकार घोषित किया
जाता है। तन ग्राम बाभठावास ए० ए० दूधवासे
का बास के ए० नं० 201 रकबा 1.50 हे० के 1/3
भाग का वादी को व 1/3 भाग प्रतिवादी नं० 1 को व
1/3 भाग का प्रतिवादी नं० 2 को जातेदार
काइलकार घोषित किया जाता है। उक्त ए० नं०
201 रकबा 1.50 हे० के वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 व
2 के मूल पति/पिता का नाम हजफ़ किया जाता
है। उक्त नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल
कराया है तथा तदनुसार प्रकरण में
पंचा डिक्री सुनी है। पचावती कैमल शुमार
होकर नम्बर से कम है तथा बाद तदधीन काविलपत्र
है। निर्णय पुले न्यायालय में सुनाया गया



20/05/2019
उपजज अति
सुपडेला (सि)

डिक्री मुकदमा इवतदाइ

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ला दीयानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खडेल

व इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS

① दानवीर पुत्र छोहराम ✕ बनाम ① बिरजू सिंह ② लक्ष्मण सिंह ✕
दावा बाबत घोषणा, वंशवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमानं. 30 सन 2019

यह मुकदमा आज वारंते इनाफिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री बनवारी लाल जांगू इमिनजानिय मुकदं रुबरु

मिनजानिय मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम रोमल पण्ड रोमल तहसील जखेल जिला स्त्रीकर (राजप)
अवस्थित कृषि भूमि जं. नं. 479 में से 0.14 हे उत्तरी पूर्वी अ-भाग
के अलग मिन नम्बर डालकर 1/3 भाग का बादी की, 2/3 भाग का
प्रतिवादी नं. 1 व 2 के तका शेप 1.82 हे डे 1/3 भाग पश्चिमी का ✕

मिज ✕ गुबलिग ✕ नाबत ✕

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद गराहर ✕


फीसदी काबाना आज की तारीख से

मासिक अदायगी तक ✕ का अदा करे।

20 05 2019

दस्तावेज मेरे दस्तावेजत व मुहर अदालत के आज तारीख

माह 05 सन 2019



दस्तावेजत
उपखण्ड अधिकारी
आइला
खण्डेला (सीकर)

| मुद्दाई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|---------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प तकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिशनर | | |
| फीस कमिशनर | | | बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ्रीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

※ जाति जाट नि० नेहरो की दागी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

- (वादी)

बनाम

※ पुत्रगण छोड़राम

① जिनका देवी पत्नी छोड़राम

② सुप्यार देवी पुत्री छोड़राम, समस्त जाति जाट नि० नेहरो की दागी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

③ भूमिखारी तहसीलदार, खण्डेला

- (प्रतिवादीगण)

※ प्रतिवादी नं० 2 को अलग मिन नम्बर डालकर व 1/3 मध्य भाग का वादी को अलग मिन नम्बर डालकर तथा 1/3 पूर्वी भाग को अलग मिन नम्बर डालकर व 1/3 पश्चिमी भाग का वादी को अलग मिन नम्बर डालकर व 1/3 मध्य भाग का प्रतिवादी नं० 2 को अलग मिन नम्बर डालकर व 1/3 पूर्वी भाग का प्रतिवादी नं० 1 को अलग मिन नम्बर डालकर अलग नकशा तैयार में तस्वीर डाल अलग-अलग लगान काम करके हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तन ग्राम बामगवा पण्डू पृथगलोकाकारन के नं० 201 रकबा 1.50 हे० के 1/3 भाग का वादी को व 1/3 भाग का प्रतिवादी नं० 1 को व 1/3 भाग का प्रतिवादी नं० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त नं० 201 रकबा 1.50 हे० से वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 ता 4 के मूलक पति/पिता का नाम हजफु किया जाता है। उक्तानुसार राजा-व रेकार्ड में अमल करामद है।



20/05/2019
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)